भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 245
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं

245. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री अरुण साव :

श्री एस.सी. उदासी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक विशेषकर महाराष्ट्र में किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक निर्मित न्यायालय भवनों, डिजिटल कम्प्यूटर रूम, वकीलों के लिए हॉल, शौचालय परिसर और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश भर में इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । तथापि, राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र, के संसाधनों के पूरक के लिए, केन्द्रीय सरकार केन्द्र और राज्य के बीच विहित निधि-साझा पैटर्न में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके, 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित की है । इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवास स्थानों का निर्माण करना शामिल है । वर्ष 2021 से, न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त, उपरोक्त (सीएसएस) की परिधि में डिजिटल कम्प्यूटर हॉल, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों के नए घटक भी शामिल किए गए है । योजना के प्रारम्भ से अब तक 10035 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें 2014-15 से 6591 करोड़ रूपए (66%) जारी किए जा चुके है ।

30.06.23 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,876 न्यायाधीशों न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के विरुद्ध 21365 संख्या में न्यायालय हॉल और 18846 संस्था में आवासीय इकाईयां उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार 2,811 न्यायालय हॉल और 1640 आवासीय इकाइयां निर्माणधीन हैं । न्यायालय हालों और उपलब्ध एंव निर्माणधीन आवासीय इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा उपाबंध पर है । यह योजना 5307.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 9000 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित की गई है ।

जहां तक महाराष्ट्र राज्य सरकार को जारी की जाने वाली राशि का संबंध है, इस योजना के अधीन 15.07-2023 तक 870 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं । बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2023 तक महाराष्ट्र राज्य में 603 न्यायालय हाल और 106 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं । डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष, वकीलों के हॉल और शौचालय अनिवार्य रूप से न्यायालय परिसर का हिस्सा है और इस योजन के अधीन परियोजना-वार/ घटक-वार निधि जारी नहीं की जाती है । तथापि, राज्यों को 2021-22 से योजना के अधीन प्रारम्भ किए गए वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटरों कक्षों के नए तत्वों के बारे में जागरूक किया गया ।

(ग): सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है । योजना के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तंत्र मौजूद है ।

राज्य में एक उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी सामिति है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं और इसमें अन्य हितधारक भी होते हैं जैसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पोर्टफोलियों न्यायाधीश, राज्य के विधि और गृह सचिव और राज्य पीडब्लूडी के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं । यह समिति इस योजना के अधीन चल रही परियोजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक 6 माह में बैठक करती है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रगति का पुनर्विलोकन करने और योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की पुनर्विलोकन समिति है ।

इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है । राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, (ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों) भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से निधियों जारी की जाती हैं, उपयोग की मानीटरी की जाती है ।

राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में चल रही परियोजनों को वास्तविक समय में जियो-टैग करना और इसके न्याय विकास पोर्टल पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, न्यायिक अवसरंचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध पूरा होने पर डेटा एकत्रित करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से विकसित एक ऑनलाइन मानीटरी प्रणाली है ।

उपरोक्त सभी, परियोजना अपने मानदंडों और विशिष्टताओं के मामले में पर्याप्त लचीली हैं, जिससे कि राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों और भू-स्थानिक का ध्यान रख सके ।

****

उपाबंध

लोकसभा अतांराकित प्रश्न सं. 245 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2023 को दिया जाना है के लिए निर्दिष्ट विवरण तथा तारीख 30.06.2023 को उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयों की संख्या का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	कुल न्यायालय हॉल	निर्माणाधीन कुल न्यायालय हॉल	कुल आवासीय इकाईयां	निर्माणाधीन कुल आवासीय इकाईयां*
1	अंडमान और निकोबार	17	0	10	0
2	आंध्र प्रदेश	647	99	574	16
3	अरुणाचल प्रदेश	29	2	29	3
4	असम	426	97	372	14
5	बिहार	1523	86	1202	82
6	चंडीगढ़	31	1	30	0
7	छत्तीसगढ़	484	26	462	426
8	दादरा और नागर हवेली	3	0	3	0
9	दमन और द्वीप	5	3	5	0
10	दिल्ली	694	50	348	70
11	गोवा	53	28	26	0
12	गुजरात	1531	140	1337	29
13	हरियाणा	562	75	518	65
14	हिमाचल प्रदेश	170	14	157	1
15	जम्मू और कश्मीर	199	46	122	8
16	झारखंड	651	12	609	0
17	कर्नाटक	1189	144	1147	84
18	केरल	566	46	541	18
19	लद्दाख	9	0	6	0
20	लक्षद्वीप	3	0	3	0
21	मध्य प्रदेश	1546	413	1696	91
22	महाराष्ट्र	2350	603	2055	106
23	मणिपुर	43	5	16	0
24	मेघालय	53	30	26	97
25	मिजोरम	47	26	37	6
26	नागालैंड	30	12	39	2
27	ओडिशा	819	53	717	56
28	पुडुचेरी	36	0	29	0
29	पंजाब	589	72	625	36
30	राजस्थान	1340	216	1135	125
31	सिक्किम	20	0	17	0
32	तमिलनाडु	1233	0	1363	0
33	तेलंगाना	535	45	475	6
34	त्रिपुरा	82	22	91	26
35	उत्तर प्रदेश	2761	284	2393	238
36	उत्तराखंड	253	70	210	3
37	पश्चिमी बंगाल	836	91	421	32
कुल		**21365**	**2811**	**18846**	**1640**

स्त्रोत : न्याय विभाग और न्याय विकास पोर्टल का एमआईएस पोर्ट